अनवान योगेन्द्र कुमार बनाम कृष्णलाल
बाद मुकदमा न.   /2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या   /2024

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. कावादीतकारी अधिनियम

योगेन्द्र कुमार सहारण पुत्र श्री कृष्णलाल सहारण जाति जाट उम्र 43 वर्ष निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

.... वादी

बनाम

(1). कृष्णलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

(2). श्रीमती राजवन्ती देवी पत्नी श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(3). देवेन्द्र सहारण पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर

(4). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

... प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोवादीाी	वादी
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी	प्रतिवादी सं. 1 ता 3
पैरोकार राज	(प्रति.–4)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 27.12.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिताजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी के माताजी व प्रतिवादी संख्या 3 वादी का भाई है। चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या नया 11 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 2/1(0.228 है.), 3(0.253 है.), 8(0.253 है.), 9/1(0.228 है.), 12/1(0.228 है.), 13(0.253 है.), 18(0.253 है.), 19/1(0.228 है.), 22/1(0.228 है.) कुल 2.152 है. नहरी कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल पुत्र बीरबलराम के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 5 क्यू के संयुक्त खाता संख्या नया 11 की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल पुत्र बीरबलराम के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के दादाजी बीरबलराम के द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए विभाजन नामान्तरण संख्या "172 ए" दिनांक 23/07/2003 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरासतन जायदाद है, जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक साथ संयुक्त परिवार में निवास करते है, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने पारस्परिक सहमति से किए गए घरेलू बंटवारा अनुसार चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 11 के मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 2.152 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 2/1(0.228 है.), 9/1(0.228 है.), 12/1(0.05 है. {उतरी हिस्सा}) कुल 0.506 है. नहरी कृषि भूमि घरेलू बंटवारा अनुसार वादी के हिस्सा में आई जिसका वादी काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कृषि भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं.1 कृष्णलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकिंया देता रहेता है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 22/12/2024 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 3 वादी का भाई होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माताजी होने के कारण पक्षकार बनाये गये है तथा प्रतिवादी सं. 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि घोषित करवाने में सहमत है। वाद पत्र, वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है ।

अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :—

(क) कि चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073—2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 11 के मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 2.152 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 2/1(0.228 है.), 9/1(0.228 है.), 12/1(0.05 है. {उतरी हिस्सा}) कुल 0.506 है. नहरी कृषि भूमि वादी योगेन्द्र कुमार सहारण पुत्र श्री कृष्णलाल सहारण जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

(ख) उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073—2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 11 के मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 2.152 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 2/1(0.228 है.), 9/1(0.228 है.), 12/1(0.050 है.{उतरी हिस्सा}) कुल 0.506 है. नहरी कृषि भूमि वादी योगेन्द्र कुमार सहारण पुत्र श्री कृष्णलाल सहारण जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को घरेलू बंटवारा में दी हुई है तथा मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 12/1(0.178 है. {दक्षिणी हिस्सा}), 19/1(0.228 है.), 22/1(0.100 है. {पूर्वी हिस्सा}) कुल 0.506 है. नहरी कृषि भूमि जैसी भी मौका पर है को अपनी पुत्रवधु श्रीमती एकता पत्नी श्री योगेन्द्र कुमार सहारण जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

श्रीगंगानगर (राजस्थान) को बंटवारा में दी गई है एवं मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 3(0.253 है.), 8(0.253 है.), 13(0.253 है.), 18(0.253 है.) = 1.012 है. नहरी कृषि अपनी पुत्रवधु श्रीमती कैलाश रानी पत्नी श्री देवेन्द्र सहारण जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को उपहार में दी गई है। अतः उक्त राजीनामानुसार चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 11 के मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 2.152 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 2/1(0.228 है.), 9/1(0.228 है.), 12/1(0.050 है. {उतरी हिस्सा}) कुल 0.506 है. नहरी कृषि भूमि **वादी** योगेन्द्र कुमार सहारण पुत्र श्री कृष्णलाल सहारण जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार अलग लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेवादी हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2073 –2076 ग्राम 5 क्यू, पटवार क्षेत्र दौलतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 11, वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के विरासतन साक्ष्य बाबत नामान्तकरण जमाबंदी ग्राम 5 क्यू, पटवार क्षेत्र दौलतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला खाता संख्या 172/27 की प्रमणित प्रति पेश की गई। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी, एवं प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से न्यायालय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 11 के मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 2.152 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 2/1(0.228 है.), 9/1(0.228 है.), 12/1(0.050 है. {उतरी हिस्सा}) कुल 0.506 है. नहरी कृषि भूमि वादी योगेन्द्र कुमार सहारण पुत्र श्री कृष्णलाल सहारण जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प वादीुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेवादीानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेविादीत किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय वादीुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 27.12.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner